

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

अधिसूचना
सं. 05/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-29/2021/वाक/पांच(31).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी, शब्द “एक सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास करोड़ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 8 मार्च, 2021 से जारी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

क्रमांक एफ-10-29/2021/वाक/पांच(31).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2021/वाक/पांच(31), दिनांक 10-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2021

NOTIFICATION
No. 05/2021 – State Tax

No. F-10-29 /2021/CT/V(31).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No. 13/2020-State Tax, No. F 10-35/2020/CT/V(37), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of April, 2021, for the words “one hundred crore rupees”, the words “fifty crore rupees” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 8th March 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.